UPEW010001862026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–12/
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधिनियम), इटावा।
उपस्थितः अशोक कुमार दुबे–II..... (एच.जे.एस.)
(J.O.Code UP1643)

दण्ड निगरानी संख्या–15/2026

सुनील कुमार पुत्र राकेशबाबू उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी– रसीदपुर उर्फ खैरिया खाती वधावली, जनपद–ऐटा।

.....निगरानीकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. डा० शिवगौड़ पुत्र नागेन्द्र गौड़
   निवासी– रामलीला रोड़, जसवन्तनगर, थाना–जसवन्तनगर जनपद–इटावा।
3. प्रदीप कुमार उर्फ मनोज अग्निहोत्री उर्फ टेनी पुत्र नामालूम / तत्कालीन तैनाती "शिव क्लीनिक" रामलीला रोड, जसवन्तनगर, थाना जसवन्तनगर, जनपद–इटावा।

..... विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दण्ड निगरानी अन्तर्गत धारा– 438,440 बी०एन०एस० प्रकीर्ण वाद संख्या–1817/2025, सुनील कुमार बनाम डा० शिव गौर आदि अन्तर्गत धारा–173(4) सपठित धारा–173(3) बी०एन०एस०एस० दं०प्र०सं०, थाना–जसवन्तनगर, जिला इटावा में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–2 इटावा द्वारा पारित आदेश दिनांकित–11.12.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

2. परिवादी सुनील कुमार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० , जो कि उसके द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया है कि दिनांक 21.09.2025 को प्रार्थी सुनील कुमार की पत्नी रंजना बीमार भाई को देखने जसवंतनगर गयी थी। वहां ससुराल से निकलते समय देहरी पर फिसल जाने से उसके मामूली खरोंचे आ गयी थीं। जल्दबाजी में उपचार नहीं कराया। भाई को देखने के बाद चोटों का उपचार कराने के लिये रामलीला रोड जसवंतनगर में स्थित शिव क्लीनिक में उसी दिन समय लगभग 5 बजे डा० शिवगौर को दिखाया। डाक्टर ने बिना किसी जांच के अपने अटेण्डेण्ट कम्पाउण्डर प्रदीप कुमार उर्फ टैनी को प्रार्थी की

Digitally signed by ASHOK KUMAR DUBEY
Date: 2026.06.30 12:34:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्नी के इलाज हेतु सौंप दिया। चोटों पर मरहम पट्टी करने के बाद डाक्टर के आदेशानुसार दो इंजेक्शन प्रार्थी की पत्नी की नस में लगाये। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी ने इजेक्शन लगाने के लिये मना भी किया था किन्तु डाक्टर ने कहा कि जैसा कहूंगा वैसा करो। डा० शिव गौर व कम्पाउण्डर ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत अधिक से अधिक पैसा उगाही करने की नौबत से एक मंशा से प्रार्थी की पत्नी को अनावश्यक रूप से दो गलत इंजेक्शन नसों में लगा दिये जिससे प्रार्थी की पत्नी का शरीर नीला पड़ चुका था और उनकी इंजेक्शन के रियेक्सन से मौके पर ही प्रार्थी की पत्नी की मौत हो गयी। डाक्टर ने अपने बचाव के लिये कहा कि इसे कहीं और ले जाओ और धमकाया कि कहीं भी बताने पर या अस्पताल का नाम लेने घर मरवा देने की धमकी दी। प्रार्थी निजी वाहन टैम्पो से सरकारी अस्पताल ब्लाक जसवंतनगर गया, जहां डाक्टर विकास ने प्रार्थी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। डाक्टर व कम्पाउण्डर ने चिकित्सीय मानकों व सावधानी को अनदेखा कर उपरोक्त अपराध कारित किया है। प्रार्थी की पत्नी का पोस्टमार्टम इटावा में हुआ। प्रार्थी ने घटना की जानकारी दिनांक 21.09.2025 को सी०एम० हेल्पलाइन नम्बर 1076 पर की थी एवं एक लिखित प्रार्थनापत्र जसवंतनगर पर दिया था, किन्तु डाक्टर की सांठगांठ होने के कारण पुलिस द्वारा डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी। डाक्टर शिव गौर ने प्रार्थी को कई तरीके से डराया–धमकाया और समझौता करने का दबाव बनाया। प्रार्थी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता था, जिससे डाक्टर व स्टाफ की लापरवाही से किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा न हो। दिनांक 15.10.2025 को पुनः 1076 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करायी थी, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 17.10.2025 को पंजीकृत डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी, जिसके बाद प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा थाने से आख्या आहूत करायी गयी, जिसमें कहा गया है कि आवेदक की पत्नी रंजना के चोट लगने के कारण इलाज हेतु शिव क्लीनिक पर दिनांक 21.09.2025 को डा० शिव गौर के पास गया था। जहां पर डा० शिव गौर ने जे०एन०एम० मनोज अग्निहोत्री से आवेदक की पत्नी रंजना को टी०टी० इजेक्शन लगवाया और चोट पर पट्टी करायी गयी। इसके बाद सीने में दर्द घबराहट होने पर CHC भेज दिया। जहा पर आवेदक की पत्नी की मृत्यु हो गयी। आवेदक की पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट अंकित किया गया है। चिकित्सक की लापरवाही के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा को रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

4. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक–11.12.2025 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी चिकित्सक के द्वारा लापरवाही तथा मानकों की अनदेखी किये जाने का मात्र कथन किया गया है, उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या में चिकित्सक के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही सामने नहीं आने का तथ्य अंकित है।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांकित 11.12.2025 से क्षुब्ध होकर यह रिवीजन इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय/ आदेश विधि विरूद्ध, अनियमित, अनुचित एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि घटना की वस्तुस्थितियों, परिस्थितियों एवं तथ्यों को अनदेखी कर सरसरी तौर पर पारित किया गया है जौ नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षमकर्ता की मामूली चोटों के इलाज के दौरान आई सम्भावित आन्तरिक क्षति को स्वतः अवधारित कर उक्त निर्णय पारित कर गम्भीर वैधानिक चूक की है। यदि पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी को गिरने से आन्तरिक रुप से किसी गम्भीर क्षति परीक्षण के दौरान लक्षित हो रही थी तो चिकित्सक को स्वयं क्षति के सापेक्ष उपचार किया जाना चाहिए था, जिसका दायित्व तत्कालीन ए०एन०एम० को नहीं सौपा जाना चाहिए था। घटना के सम्बन्ध में आहुत पुलिस आख्या में इस तथ्य/तत्व का स्पष्ट उल्लेख है कि दिनांक– 21.09.2025 को डा० शिव गौर ने जे०एन०एम० मनोज अग्निहोत्री से आवेदक की पत्नी रंजना को टी०टी० इंजेक्शन लगवाया और चोट पर पट्टी कराई इसके बाद सीने में दर्द घबराहट होने पर सी०एच०सी० भेजा जहां पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि सी०एच०सी० प्रभारी चिकित्सक ने मरीज रंजना को "Brought dead"/मृतावस्था में लाना बतलाया। विद्वान न्यायालय ने उक्त निर्णय/आदेश पारित करते समय यह अवधारित कर मूलभूत वैधानिक त्रुटि की है कि मरीज रंजना की मृत्यु गलत इंजेक्शन लगाये जाने से नहीं बल्कि "Syncop" कार्डियक अटेस्ट के कारण हुई है जबकि यह चिकित्सीय सिद्धान्तों का साधारण निष्कर्ष होता है कि किसी भी गलत इंजेक्शन को दुष्परिणाम/रियेक्शन होने पर सबसे पहले हृदय गति अथवा घातक मानसिक अघात के रुप में होता है। जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में "Syncop" से इंगित किया गया है। विद्वान न्यायालय ने प्रकरण में प्रतिपक्षी चिकित्सक के विरूद्ध व्यक्तिगत परिवाद/शिकायत को भी प्रतिबद्धित अवधारित करके भी वैधानिक तथ्य को नजरअंदाज किया है कि प्रतिपक्षी चिकित्सक किसी भी प्रकार से लोक सेवक की परिधि/श्रेणी में नहीं आता है और न ही उसके द्वारा बरती गई चिकित्सीय अनुशासन/कर्तव्यों में घोर लापरवाही के आपराधिक कृत्यों के लिये संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। विद्वान न्यायालय ने उक्त आदेश पारित समय पुलिस आख्या तथा विभागीय चिकित्सीय परामर्श को महत्व प्रदान कर वैधानिक अनियमितता चूक की है। पारित उक्त आपेक्षित आदेश में आपराधिक प्रकरणों के सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थापित वैधानिक व्यवस्थताओं के सिद्धान्त अनुपालन/स्टेयर डेलीसिस का पूर्ण अभाव है। पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर याचिका गुणदोष के आधार पर निर्णीत किये जाने की याचना की गई है।

6. निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फर्द सबूत सूची 4 ख द्वारा एक किता सत्यप्रतिलिपि निर्णय दिनांकित– 11.12.2025 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला

शासकीय अधिवक्ता (दण्ड) एवं विपक्षी संख्या–02 तथा 03 के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध,समस्त अभिलेखों एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2025 का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 11.12.2025 में न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है और अन्य अभियुक्तगण को तलब न करके त्रुटि कारित की गयी है। उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं है। अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

9. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दण्ड) द्वारा तर्क दिया गया कि अवर न्यायालय द्वारा परिवाद पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है। आदेश दिनांकित 11.12.2025 विधिसम्मत है और उक्त आदेश को पारित करने में अवर न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अतः उक्त निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

10. उभयपक्ष को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक अवलोकनोपरांत स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में कहा गया है कि उसकी पत्नी के मामूल खरोंचे आयी थी और उसने तत्काल कोई ईलाज नहीं कराया था। बाद में उसके द्वारा शिव क्लिनिक में जाकर डा० शिव गौर को दिखाया, जहाँ पर उनके अटेण्डेण्ट कम्पाउण्डर प्रदीप कुमार उर्फ टेनी द्वारा निगरानीकर्ता की पत्नी को दो इंजेक्शन लगाये गये, जिसके बाद उसका शरीर नीला पड़ गया और सरकारी अस्पताल ब्लाक जसवंत नगर में गया, तो वहाँ डाक्टर ने उसकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना के बाद निगरानीकर्ता द्वारा डा० शिव गौर व स्टाफ के विरूद्ध शिकायत दर्ज करायी, जिस पर सुनवाई न होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बी०एन०एस०एस० में पेश किया, जिसे विद्वान अवर न्यायालय ने चिकित्सक के विरूद्ध कोई साक्ष्य अथवा लापरवाही का तथ्य न मिलने पर उक्त प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया था।

11. निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र व मूल तलविदा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह अवगत होता है कि निगरानीकर्ता की पत्नी की मृत्यु का कारण हृदयघात है। चूँकि निगरानीकर्ता ने बताया की उसकी पत्नी को ससुराल की देहरी से निकलते समय फिसल जाने से उसके मामूली खरोंचे आ गयी थी, जिसका इलाज उसके द्वारा तुरन्त नहीं कराया गया। निगरानीकर्ता द्वारा यह किस आधार पर जांचा गया कि चोट मामूली है या घातक, यह तय करना चिकित्सक का कार्य होता है, जिसके लिए उसके द्वारा तुरन्त पत्नी को चिकित्सक के पास लेकर जाना चाहिए था, परन्तु उसके द्वारा जल्दबाजी में उपचार न कराना कहा गया है, जो कि स्वयं की लापरवाही होना प्रतीत होता है। साथ ही मूल पत्रावली पर उपलब्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इटावा द्वारा अपनी आख्या में चिकित्सक के द्वारा कोई लापरवाही बरतना नहीं पाया गया है और चिकित्सक का चिकित्सालय मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में पंजीकृत होना पाया गया है। निगरानीकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में यह भी कहा गया है कि डा० शिव गौड़

व कम्पाउण्डर ने आपराधिक षडयंत्र के तहत अधिक से अधिक पैसा उगाही करने की नियत से प्रार्थी की पत्नी को अनावश्यक रूप से दो गलत इंजेक्शन लगा दिये। निगरानीकर्ता का यह कथन बिल्कुल निराधार प्रतीत होता है क्योंकि किसी भी चिकित्सक द्वारा मरीज के इलाज के दौरान जो भी उपर्युक्त उपचार किया जाना होता है, वह करता है। मात्र दो इंजेक्शन लगा देने से चिकित्सक किस प्रकार से व कितना ही धन उगाही कर सकता है, यह बात समझ के परे है। साथ ही उक्त इंजेक्शन लगाकर कितने ज्यादा रूपये की उससे उगाही की गयी, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया गया है, बल्कि प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी चिकित्सक द्वारा अपने अनुभव, चिकित्सीय ज्ञान के अनुसार जो आवश्यक समझ में आया, वह किया गया, इसमें चिकित्सक का उपेक्षापूर्ण अथवा लापरवाहीपूर्ण कृत्य प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार बिना किसी ठोस आधार के किसी कुशल पेशेवर चिकित्सक के विरूद्ध दाण्डिक कार्यवाही के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

12. अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त के सम्बन्ध में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित–11.12.2025 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० निरस्त करते हुए जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें तथ्य एवं विधि की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त प्रश्नगत आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होता है। अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तुत दण्ड निगरानी निरस्त होने योग्य है व विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित– 11.12.2025 पुष्ट किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–15/2026 सुनील कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–11.12.2025 पुष्ट किया जाता है।

इस निर्णय की एक प्रति अविलम्ब सम्बन्धित विद्वान अवर न्यायालय को प्रेषित की जाए। कार्यालय लिपिक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।

दिनांक–30.06.2026 **(अशोक कुमार दुबे–II)**
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–12
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधि०), इटावा।
J.O.Code NO.U.P.1643

निर्णय आज हस्ताक्षरित व दिनांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–30.06.2026 **(अशोक कुमार दुबे–II)**
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं०–12
विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे० अधि०), इटावा।
J.O.Code NO.U.P.1643